

# मछली पालन के लिए और प्रोत्साहन मिलेगा

राज्य मुख्यालय | अजीत कुमार

प्रदेश में मछलीपालन करना अब आसान होगा। इसके लिए सरकार और प्रोत्साहन देगी। सरकार गांवों से लेकर पेरी अरबन एरिया (शहर से जुड़े अविकसित ग्रामीण क्षेत्र) में भी मत्स्य पालन के लिए काश्तकारों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने जा रही है। इसके लिए कुछ कानूनों में संशोधन तक किए जाएंगे ताकि मछली पालकर किसान अपनी आय दोगुनी कर सकें।

कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों में सबसे अधिक आय वृद्धिदर मत्स्यपालन के क्षेत्र में होने के कारण ही सरकार यह कदम उठाने जा रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश के किसानों की आय अगले पांच वर्षों में दोगुनी की जा सके। इस दिशा में सरकार ने सबसे पहले कुछ नियम-कानूनों को शिथिल करने का निर्णय किया है ताकि तालाबों-पोखरों व गड्डों

## प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की स्थिति एवं लक्ष्य

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
2016-17	5.50
2017-18	5.80
2018-19	6.20
2019-20	6.80
2020-21	7.20
2021-22	7.50

के अलावा नदियों-नहरों एवं जलभराव वाले क्षेत्र को मत्स्य पालन के लिए लोगों को पट्टे पर दिया जा सके। अब तक पट्टों के लिए राजस्व विभाग से लेकर मत्स्य विभाग तक में मत्स्यपालकों को चक्कर लगाने पड़ते थे जहां उनका जमकर शोषण होता था।

नियमों में परिवर्तन के बाद पात्र मत्स्यपालकों को आसानी से तालाब-पोखर आदि पट्टे पर मिल सकेंगे। साथ

## मत्स्यपालकों को बाजार भी उपलब्ध कराएगी सरकार

मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आसपास बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। फुटकर मछली बाजार, कियार्स्क, एवं फिश पार्लर आदि की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सरकार आर्थिक सहायता भी देगी। साथ ही थोक मछलियों का आधुनिकीकरण एवं उनका विकास किया जाएगा। साथ ही कोल्ड चेन विकसित किया जाएगा ताकि जरूरत के अनुसार एक बाजार से दूसरे बाजारों में आसानी से मछलियों को भेजा जा सके।

## प्रदेश में इन मछलियों के उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

भारतीय मेजर कार्प मछलियों के साथ-साथ पंगेशियस, तिलापिया एवं रूप चंदा प्रजाति की मछलियों के पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नस्ल की मछलियां कम ऑक्सीजन में भी पल जाती है, मसलन, कॉमन कार्प, देशी मांगुर, रोहू, कतला आदि।

ही किसानों के घरों के आसपास के निजी क्षेत्र के अप्रयुक्त भूमि से लेकर पोखरे व गड्डे तक जो न्यूनतम पांच सौ वर्ग मीटर के हों एवं डेढ़ मीटर गहरा हो, को किचन पाण्ड के रूप में विकसित कर उनमें मछली पालन कराएगी। इसी कड़ी में सरकार ने प्रदेश के जीर्ण-शीर्ण पड़े तालाबों व पोखरों के जीर्णोद्धार करने का

भी निर्णय किया है ताकि उसमें मछलीपालन के साथ-साथ बत्तख पालन व केकड़ा पालन आदि भी किया जा सके। साथ ही मुर्गीपालन, सूकरपालन व दुधारु पशुओं को पालकर किसान अपनी आय बढ़ा सके। सरकार ने मत्स्य पालन से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बकायदा रोडमैप तैयार किया है।